...ालय उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहक... जो इस हुक्म की तामील... जारी हुए
	194/09 कुन्दनलाल V/s श्यामलाल	
	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.2.17 व 2.3.17 के अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि प्रतिवादी नं. 3 की मृत्यु हो जाने पर विद्वान अधिवक्तावादीगण को 90 दिवस में कायम मुकाम का आवेदन पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 10 सीपीसी पेश किया। विद्वान अधि० प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 3 की मृत्यु लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कायम मुकाम हेतु कोई प्रार्थना-पत्र मा० न्यायालय में पेश नहीं किया अतः वाद बाबत खारिज किया जावे। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी मृत वादी/अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को ~~सी.पी.सी.~~ के अधीन पक्षकार बनवाने के लिये 90 दिवस की अवधि संबंधित की मृत्यु तिथि से निर्धारित है। परन्तु विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया	

वादी, प्रतिवादीगण से कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का इच्छुक नही है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अत: वाद को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद आद पेश करने पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
12.1.18

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी